

न्यायालय: व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) (त्वरित न्यायालय), बागपत।

पीठासीन: शिवम द्विवेदी (P.C.S.-J),

J.O. Code-UP3247

UPBG040123682022



Warrant or Summons Criminal Case/7020/2022

सरकार बनाम आरिफ

मु०अ०सं०-720/2022

धारा-3/25 आयुध अधिनियम, 1959

थाना बड़ौत, जनपद बागपत

सत्र सुपुर्दगी आदेश

1. अभियुक्त **आरिफ पुत्र फोजूद्दीन** के विरुद्ध मु०अ०सं०-720/2022, धारा-3/25 आयुध अधिनियम, 1959, थाना बड़ौत, जनपद बागपत में विवेचक द्वारा उक्त मामले में विचारण हेतु आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। माननीय न्यायालय अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय संख्या 2, बागपत का पत्र दिनांकित 25.03.2025 संलग्न है, जिसमें सत्र परीक्षण संख्या 132/2023, सरकार बनाम नौमान आदि, मु०अ०सं० 721/2022, अंतर्गत धारा-413 भा०दं०सं०, थाना बड़ौत, जनपद बागपत द्वारा वर्तमान पत्रावली को कमिट किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। कार्यालय आख्या दिनांकित 24.03.2026 के अनुसार सत्र परीक्षण संख्या 132/2023 (कम्प्यूटर संख्या 202/2023), सरकार बनाम नौमान आदि, मु०अ०सं० 721/2022, अंतर्गत धारा-413 भा०दं०सं०, थाना बड़ौत, जनपद बागपत की पत्रावली माननीय न्यायालय अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय संख्या 2, बागपत में विचाराधीन है। वर्णित परिस्थितियों में यह पत्रावली माननीय सत्र न्यायालय सुपुर्द की जाती है।
2. अभियुक्त को वांछित नकलें धारा 207 दं०प्र०सं० के अंतर्गत दी जा चुकी है। लोक अभियोजक (फौजदारी) सूचित हो। कैलेण्डर अन्दर सप्ताह तैयार हो।
3. अभियुक्त **आरिफ पुत्र फोजूद्दीन** आज न्यायालय में ज़िला कारागार, बागपत से उपस्थित आया। अभियुक्त दिनांक 04.04.2026 को माननीय सत्र न्यायालय/न्यायालय अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय संख्या 2, बागपत के समक्ष उपस्थित हो।

(शिवम द्विवेदी)

दिनांक:-मार्च 24, 2026

Harsh Y./-

व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) (त्वरित न्यायालय),

बागपत।

J.O. Code-UP3247